जयपुर, दिनांक 31/1/2015

शहीद सिंह ग्यारहुरी
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रायोजन विकास एवं पंचायती राज विभाग
(प्रायोजन विकास, अनुभाग-8)
(रूपनाथ 0411-2277229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

कमांक एक 2(4)प्रायोजन/अनु-8/सैक-2011/दावा आपत्ति/2015
जिला कल्कत्ता एवं प्रतापगढ़ (SECC-2011)
समस्त (राजो) मुख्य कार्यालय अधिकारी
जिला परिषद्, समस्त (राजो)

विषय— सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए सेवानिवृत्त कार्यक्रम के स्थान पर जिला परिषद्, पंचायत समिति में आईपीए, नरेगा व अन्य योजनाओं में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर को लागू करने के काम में।

महत्वदायक,

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के कार्य में अति संभव के रूप में दावा आपत्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है, कुछ जिलों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो गयी है। बीपीएल सर्वोत्तम जिला परिषद्यों जिला परिषद् ने प्रतापगढ़ जिला परिषद्, पंचायत समिति में आईपीए, नरेगा व अन्य योजनाओं में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर को लागू करने के काम में।

अतः SECC-2011 की सूचनाओं का संरक्षण (होटिंग) जिला परिषद् द्वारा किया जाना है। SECC-2011 में अब तक योजना वाले जिलों में जिला परिषद् द्वारा संरक्षण की गई है, जिनमें अवधि 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के आधार पर SECC-2011 के कार्य समाप्त होने के बाद इन प्रक्रियाओं की सेवाओं की आगे आवश्यकता नहीं है। इस कार्य को को स्थान पर जिला कल्कत्ता, अतिरिक्त जिला कल्कत्ता एवं तहसील कार्यालय के कार्यक्रमों का आधार जिला परिषद्/पंचायत समिति में नियुक्त आईपीए, नरेगा के कम्प्यूटर ऑपरेटर व सूचना एवं प्रोडाक्शन के विभाग के सूचना सहायक की सेवाओं की जानी है।

SECC-2011 की दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर दावा आपत्ति के संचार में संशोधित बिना अपलोड किये जाने हैं जिससे कि अति सूची जारी की जा सके। इन अपलोड को अपलोड करने के लिए बैल कंपनी का एक प्रतिनिधि जिला सतर भर नरेगा, आईपीए में नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं आई.टी विभाग के सूचना सहायकों को कम से कम 5 कार्यक्रम को प्रशिक्षण देंगे तथा आवश्यकता-आवश्यक इनकी संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। नियुक्त कार्यक्रम प्रशिक्षण डेटा को जिला सतर पर ही इन सूचनाओं को SECC-2011 के पोर्टल पर अपलोड करें। इन सूचनाओं का प्रशिक्षण, सम्बन्धित एवं पररूपन का दायित्व बैल कंपनी के प्रतिनिधित्व का होगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर 15 दिनों के अन्दर-अन्दर SECC 2011 से पोर्टल पर डाटा अपलोड कर दिये जाये जिससे कि अति सूची निर्धारित अवधि में जारी की जा सके।

भवनी बाबा दत्त (संजय शिंग ग्यारहुरी)
शासन सचिव
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. अंतिम जिला कलेक्टर समस्त (राज0)
2. उप निदेशक / सहायता निदेशक, सांख्यिकी कार्यालय कलेक्टरेट, समस्त (राज0)
3. कंप्यूटर सैल को ईमेल भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट SECC 2011 पर अपलोड करें।

[Signature]

परिवर्तन, एवं उप सचिव
(भो एवं मू)